

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

क्रमांक 420 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.विभाग / 2011
प्रति,

रायपुर दिनांक 22-1-11

1. अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर
2. कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रायपुर / धमतरी / महासमुंद / दुर्ग /
राजनांदगांव / कबीरधाम / जगदलपुर / दंतेवाड़ा /
कांकेर / बीजापुर / नारायणपुर / परि. खण्ड, रायपुर /
परियोजना खण्ड क्रमांक-02, रायपुर / मिलाई


विषय:- निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में वित्त निर्देश 45/2010

संदर्भ:- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक-160 / त.शा. / दिनांक 11.01.2011 (पत्र आपके कार्यालय को पृष्ठांकित है)

— 0 —

विषयांतर्गत प्रमुख अभियंता कार्यालय के संदर्भित पत्र मय सहपत्रों का अवलोकन करें। जिसमें वित्त निर्देश 45/2010 में वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय-2, धारा-2 का संदर्भ देते हुये निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी एवं पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, का पालन करते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

पृ.क्रमांक / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.विभाग / 2011

रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर